



गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पर

30प्र0 आवास एवं विकास परिषद प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी)

के अर्न्तगत अवध विहार योजना, लखनऊ के सेक्टर-03, 7ए एवं 10बी के (जी+3) प्रकार के दुर्बल आय वर्ग भवनों के आवंटन से अवशेष अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जनजाति (दिव्यांग) एवं वरिष्ठ नागरिक (सामान्य) श्रेणी हेतु ऑनलाइन पंजीकरण प्रारंभ

ऑनलाइन पंजीकरण तिथि - 26.01.2026-26.02.2026

भवन पंजीकरण निम्नलिखित वर्गों हेतु

वरिष्ठ नागरिक (सामान्य)

अनुसूचित जनजाति

अनुसूचित जनजाति (दिव्यांग)

• अवध विहार योजना, लखनऊ •



UPRERAPRJ15287



UPRERAPRJ15315



UPRERAPRJ15312



UPRERAPRJ15294

रेरा संग्रह खाता संख्या - 9010083363218 | IFSC CODE - UTIB0001692

Axis Bank, प्रगति केंद्र, कपूरथला, लखनऊ

प्लैट/भवनों का विवरण

भवनों की संख्या (40)	सुपर एरिया (वर्ग मी0)	कार्पेट एरिया (वर्ग मी0)	प्रति प्लैट/भवन की कुल लागत (रु0 लाख में)	भारत सरकार/राज्य सरकार द्वारा अनुदान के रूप में दी जाने वाली धनराशि (रु0 लाख में)	लाभार्थी द्वारा वहन की जाने वाली धनराशि (रु0 लाख में)	पंजीकरण धनराशि (रु0 में)	एकमुश्त देय धनराशि (रु0 में)	शेष धनराशि (रु0 में)	प्लैट/भवन में 15 वर्षों में देय मासिक किश्तों का विवरण	
									किश्तों की संख्या	मासिक किश्त (रु0 में)
वरिष्ठ नागरिक (सामान्य) - 28										
अनुसूचित जनजाति - 11										
अनुसूचित जनजाति (दिव्यांग) - 01										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	34.07	22.77	6.00	2.50	3.50	5,000	35,000	3,10,000	180	3237



अधिक जानकारी के लिए QR स्कैन करें
या वेबसाइट www.upavp.in पर विजिट करें
एवं संपर्क करें 9935067878

विस्तृत जानकारी हेतु संपर्क करें

अवध विहार योजना, लखनऊ ☎ 8795810970

विशेष नोट

आवेदन करने से पहले परिषद की वेबसाइट www.upavp.in पर उपलब्ध पंजीकरण पुस्तिका के निर्देश अवश्य पढ़ें।
अधूरा या ग़ुटिपूर्ण आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे।

दुर्बल आय वर्ग (EWS) के भवनों के लिए केवल वहीं परिवार पात्र हैं जिनकी वार्षिक आय ₹3,00,000 तक है।
इसके लिए राज्य सरकार द्वारा जारी आय प्रमाण पत्र अनिवार्य है।

प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) से संबंधित अधिक जानकारी के लिए भारत सरकार की वेबसाइट www.mohua.gov.in देखें।